GST NO- 06CMPDD7021F1Z9 9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

प्रति

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल रीवा (म.प्र.)

बिषयः– वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 4.59 हेक्टेयर वनभूमि में सेंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP / MP / MIN / 152432 / 2022

संदर्भ :– आपका पत्र / मा.चि. / 3409 दिनांक 16.04.2025 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन भवन तुलसी नगर भोपाल का पृष्ठांकन क्रमांक / एफ–1 / 835 / 2022 / 10–11 / 1094 दिनांक 03.04.2025

––––::0::––––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल एवं आपके संदर्भित पत्र से बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी जिसे बिन्दुवार तैयार कर श्रीमान जी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्र.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	The proposal was discussed in the REC meeting of RO, Bhopal held on dated 11.12.2023 wherein it has been observed that the actual area of diversion is 4.633 ha instead of the proposed 4.59 ha, as the area for mining is 4.59 ha including safety zone and the area for approach road is 0.0436 ha and the State Govt. was requested that correct KML file of 4.633 ha shall be uploaded showing diversion area, safety zone area approach road and accordingly necessary corrections in online Part I and II are also required to be done. In this reference, the Govt. of Madhya Pradesh vide letter dated 23.01.2025 has informed that the needful has been done. However necessary corrections in online Part I and II has not been carried out. Therefore the State Govt. is again requested to carry out the necessary corrections in online Part I and II.	ऑन लाइन फारेस्ट परिवेश पोर्टल ऑनलाइन भाग 01 में संशोधित के.एम.एल. फाइल सुधार कर अपलोड कर दी गई है।
2	The proposal was discussed in the REC meeting of RO, Bhopal held on dated 11.12.2023 wherein it has been observed that in view of the change in area proposed for diversion, the non forest CA area is also required to be provided for 4.633 ha, hence accordingly the plantation scheme along with other related documents such as maps, CA KML file of 4.633 ha proposed on non forest land shall be submitted/uploaded. In this reference, the Govt. of Madhya Pradesh vide letter dated 23.01.2025 has informed that the needful has been done. However as per DSS analysis the calculated area of KML file of Non-Forest land proposed for CA is found be 4.59 Ha instead of 4.633 ha and moreover the plantation scheme along with other related documents such as maps, CA KML file of 4.633 ha proposed on non forest land has not been submitted/uploaded which needs submission.	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल. फाइल, जियो रिफरेंश मैप सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार किया गया है एवं संबंधित अभिलेख ऑन लाइन फारेस्ट परिवेश पोर्टल में अपलोड़ की जा चुकी है। छायाप्रति संलग्न है।
3	The State Govt. shall clarify whether the Letter of intent (LoI) issued by the Mineral Resource Department, Govt. of Madhya Pradesh is still valid as on date or otherwise.	कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा / मऊगंज के पत्र क्रमांक / 307 / खनिज / 2024 दिनांक 20.11. 2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी

4861 15-05-25

		अवधि 31.01.2026 तक वैध है। छायाप्रति संलग्न है।
4	Details of mineral evacuation plan and how the requirements of electricity and water will be met shall be submitted. The detail of additional forest land (if any) required for the purpose shall also be submitted.	खनिज निकासी का कार्य यांत्रिकीय विधि से किया जावेगा, खनिज उत्खनन हेतु बिजली की आवश्यकता नगन्य है एवं पानी की पूर्ति हेतु टैंकर के माध्यम से की जावेगी। प्रस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।
5	The user agency in Part-I form reported that the Project does not requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 (Environmental clearance) whereas the instant project is for mining. A clarification in this regard needs submission.	आवेदक संस्थान द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण से रोकथमन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा, के.एम.एल. फाइल में उक्त क्षेत्र को दर्शाया गया है, एवं धूल की रोकथाम हेतु समय–समय पर पानी का छिड़काव टंकरों द्वारा किया जावेगा। साथ ही जल की निकाषी नहीं की जावेगी, जिस कारण से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
6	The instant mine has been proposed to be worked upon by mechanized mining with implementation of Open-cast technology. Therefore, the status of muck disposal plan shall be submitted along with relevant details.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से निकला हुआ मलवा को निजी भूमि क्रय कर राजस्व क्षेत्र में डम्प किया जावेगा। पस्तावित क्षेत्र के अतिरिक्त वनक्षेत्र को प्रभावित नहीं किया जावेगा।
7	Complete copy of an approved mining plan needs submission. The State Govt. shall also ensure that the land-use as proposed in the proposal shall invariably commensurate with the land-use as given in the approved mining plan.	स्वीकृति खनन योजना की प्रति संलग्न है। प्रस्तावित क्षेत्र में खनन का कार्य माइनिंग प्लान अनुसार किया जावेगा, जिसके लिए आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
8	The State Govt. has not informed as to how much area of the proposed NFL (village wise/ patch wise) for raising compensatory afforestation is having specified density as per the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023. Moreover, the State shall also ensure that the area (NFL) proposed for CA is suitable for raising Compensatory Afforestation as per the provisions of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 and the crop improvement programme of the forest crop in the NFL proposed for CA shall be submitted.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के अनुसार ग्राम हरईगुजरान में एक ही पैच में 4.59 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित है, जिसका घनत्व 0.2 से 0.4 है एवं प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना भी प्रस्तावित है।
9	Para 2, Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 says that "Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account". Keeping this in view, the KML file of the Degraded forest land which is twice in size of such shortfall in the compensatory afforestation land needs to be submitted (if applicable) along with Maps, CA scheme, Site suitability certificate etc.	आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के नियम –13 के पैरा 2 अनुसार प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल फाइल, जियो रिफरेश सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड़ कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है, साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दोगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्व है।
10	Given the density of 0.4 of the proposed forest area of 4.59 ha, number of project affected trees reported as 10 appears to have been estimated on lower side. The same needs to be reconfirmed by the State. It may also be clarified whether the tree enumerations have been done as per actual standing trees on ground or through sampling method or by adopting any other	वनमण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के कक्ष क्रमांक पी. 334 में प्रस्तावित क्षेत्र 4.59 हेक्टेयर भूमि को मौके से जाकर गणना की गई है, गणना पत्रक अनुसार 10 नग वृक्ष एवं 81 नग बांस भिर्रा मौके पर मौजूद है। मौका पंचनामा की प्रति संलग्न है।

	method.	
11	The State Govt. in the Part-II form reported that the proposed forest land is not prone to soil erosion whereas as depicted through satellite imagery the lease is situated at hilly terrain. Therefore, factual details in this regard needs submission along with the mitigation plan/ Soil Erosion Treatment Plan duly approved by the DCF concerned to choke the soil erosion.	प्रस्तावित क्षेत्र चट्टानी क्षेत्र है। चट्टानी क्षेत्र होने के कारण मिट्टी का कटाव होना असम्भव है। इसके उपरांत भी आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर की चौड़ाई में ग्रीन बेल्ट तैयार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपचार योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
12	The forest land proposed for diversion is located in Rewa District whereas the land proposed CA has been proposed in the Sagar and Singrauli District. Thus, the land for diversion is situated at an aerial distance of approximately 70 Km away from the land for CA. The State Govt. shall ensure that the Para 2.2 (xiii) of Chapter-2 given in the consolidated Handbook of Guidelines issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardha) Rules-2023 has been followed while selecting the land proposed for CA.	भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि वनमण्डल दक्षिण सागर एवं डबल डिग्रेटेड वनमण्डल सिंगरौली में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
13	The KML files indicating the different components of the projects like safety zone/ Green belt, Infrastructure, OB dump etc shall be submitted along with land use map. The component wise details of the proposed forest land shall also be updated on the PARIVESH portal.	आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन/ग्रीन बेल्ट 7.5 मीटर प्रस्तावित क्षेत्र के चारों तरफ तैयार किया जाएगा, जिसे के.एम.एल. फाइल में दर्शाया गया है। (मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है) जैसी बुनियादी ढांचे संबंधी जानकारी ऑन लाइन परिवेश पोर्टल में दर्ज कर दी गई है।
14	DSS analysis revealed that the user agency has uploaded incorrect KML file of the Non-forest land proposed for CA because the part of the proposed CA land is partly falling in forest compartment.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित गैर वनभूमि की संशोधित के.एम.एल. फाइल ऑनलाइन परिवेश पोर्टल में अपलोड़ कर दी गई है।
15	The CF, Rewa circle while approving the CA scheme reported that against diversion of 11.26 ha forest land for mining in three leases of same user agency, the State govt. has only proposed 8 ha forest land for CA. This needs clarification along with complete copy of CA scheme. The State Govt. shall also ensure that the proposed CA shall be in proportionate to the forest land for diversion.	आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि दक्षिण सागर में प्रदाय की गई है, जिसकी जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ है। साथ ही वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दोगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है। गैर वनभूमि एवं प्रभावित वनभूमि अनुपात में है।
16	The CF, Rewa circle while approving the CA scheme reported that the instant proposal is for establishment of crushing plant instead of mining. This needs clarification. The State shall also ensure that the forest land cannot be diverted for any non-site specific activities.	प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान प्रभावित वनभूमि में खनन का कार्य किया जावेगा, अन्य कोई गतिविधि नहीं की जावेगी, जिसके पालन हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महराज

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

(ललित पंघाल)

PROPRIETOR

प्रोपराईटर

म.प. 975/76 सेक्टर, 13 हुड्डा भिवानी

हरियाणा

स्थल निरीक्षण मौका पंचनामा स्थान-हर्रई गुजरान बीट कदुआंवन

दिनांक :- 01/08/2022

हम नीचे लिखे हस्ताक्षरित पंचगण सच-सच तस्दीक करते है कि आज दिनांक को श्रीमान व॰म॰अ॰ महोदय सीधी के पत्र क्र॰ मा॰चि॰/6423 दि॰ 25/7/2022 अनुसार वन परिक्षेत्राधिकारी मड़गांव प॰स॰ खोलाफुर एवं अन्य वन अमला के साथ आवेदक श्री स्वामी नित्यानंद जी महराज स्टोन प्रोपराइटर ललित पंघाल हाउस नं. 975/76 सेक्टर 13 हुड्डा जिला-भिवानी हरियाणा द्वारा ग्राम-हर्रई गुजरान के शासकीय वनभूमि कक्ष क्र॰ PF-334 खसरा नं. 02/1P में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत खनिज पत्थर के उत्खनन हेतु रकबा-11.590 है की जी॰पी॰एस॰ रीडिंग-(A) N-24°32'37.2" E-81°49'3.9" (B) N-24°32'38.8" E-81°49'6.3" (C) N-24°32'40.9" E-81°49'11.4" (D) N-24°32'39.1" E-81°49'17.4" (E) N-24°32'33.2" E-81°49'8.7" है प्रस्तावित क्षेत्र का स्थल मौके निरीक्षण किया गया स्थल निरीक्षण में प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र में कुल 81 बोझ मिर्रे एवं सेधा-41नग, नीम-3नग, पलाश-3 मौके से पाया गया भूमि की ग्रेड कबालिटी-5 B एवं क्षेत्र का घनत्व 0.04 है प्रभावित होने वाली वन भूमि में स्थित वृक्षों एवं बोझ मिर्रों की गिनती मार्किंग कराकर प्रजातिवार सूची तैयार कराई गई है प्रस्तावित क्षेत्र अंतर्गत प्रभावित होने वाली वन भूमि का मौके से सत्यापन किया गया जिसका मौका पंचनामा मौके से तैयार कराया गया। और फर्म मालिक की उपस्थिति में पढ़ पढ़ाकर सुनाया गया तत्पश्चात हस्ताक्षर कराया गया जो सत्य व सही है।

पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया,

ललित पंघाल (signature)

प॰स॰ खोलाफुर (signature)

वनरक्षक कदुआंवन

दिनेश कुमार बेले

व॰र॰ खोलाफुर

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र

(signature)

Ro Mawganj

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज (म.प्र.)

E-mail:- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 307 / खनिज / 2024 मऊगंज, दिनांक 20-11-2024

प्रति

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स,
प्रो. श्री ललित पंघाल
निवासी मकान नंबर 975/76 सेक्टर 13,
हुड्डा भिवानी, हरियाणा

विषय :- ग्राम हर्रई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) का उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र क्रमांक 770 दिनांक 12.11.2020 के निराकरण विषयक ।

संदर्भ :- 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 422/ खनिज /2021 रीवा, दिनांक 11.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5937/ खनिज /2021 रीवा, दिनांक 11.10.2021
2. आपका पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं 14.11.2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम हर्रई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र 10 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 12.11.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

वन मण्डलाधिकारी रीवा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि है जो कि खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) के अंतर्गत है। प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर रीवा जिले के ग्राम हर्रई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धान्तिक सहमति संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2021 एवं 11.10.2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक से 31.01.2026 तक की अवधि के अंदर अनुमोदित खनन योजना इस कार्यालय में उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग के अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात् ही उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जा सकेंगे।
(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित्त)

उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला रीवा (म0प्र0)

कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख
खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश
ई मेल – rhdgmrew@mp.gov.in
फोन एवं फैक्स न. 07662 222044, 222045

क्रमांक 1451/भौ./न.क्र./2020–21 रीवा दिनांक 22/12/2020

प्रति

प्रभारी अधिकारी खनिज
जिलाध्यक्ष कार्यालय
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– ग्राम हर्रई गुजरान तह. मऊगंज जिला रीवा के ख.न. 2/1 (पी) रकबा 4.590 हे. में खनिज पत्थर (यां. वि. से गिट्टी निर्माण) का उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन पत्र। आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स प्रो. श्री ललित पद्याल।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 5200/खनिज/2020 रीवा दिनांक 13.11.2020

---00---

उपरोक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आवेदित क्षेत्र के अक्षांश देशांश की जानकारी के अभाव में आवेदक द्वारा बताए गए आवेदित क्षेत्र एवं आसपास स्थित क्षेत्र में स्थित खदानों में विद्यमान चट्टानों के संस्तर का अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय भौगोलिक एवं भूगर्भीय स्थिति के अनुसार क्षेत्र में विन्ध्य समूह की चट्टानें विद्यमान है। क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज क्वार्टजिटिक सेंड स्टोन है। जिसे गौण खनिज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्षेत्र में अन्य किसी प्रकार का मिनरलाईजेशन नहीं देखा गया। क्षेत्र में लगभग 2,29,000 घन मीटर खनिज उपलब्ध हो सकता है।

क्षेत्रीय प्रमुख
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश